कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक–वा0क0अधि0/न्या0का0वि0/ 10 /2025 :: लखनऊ, 03 जनवरी–2025

–:: परिपत्र ::–

समस्त सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश ।

मेरे द्वारा माह नवम्बर–2024 के न्यायालय कार्य विवरण पत्रों का अवलोकन किया गया और पाया गया कि न्यायालय कार्य विवरण पत्र प्रत्येक माह की 07 तारीख तक डिस्पैच कर मुख्यालय प्रेषित करने का परिपत्र सं0–745/2024 दिनांक 05.07.2024 मुख्यालय द्वारा निर्गत किया गया था, परन्तु न्यायालय कार्य विवरण पत्र विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उनकी समय से जॉच करके लम्बित/निस्तारित अपीलों के सम्बन्ध में समीक्षा किये जाने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः समस्त सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि न्यायालय कार्य विवरण पत्र अगले माह की 05 तारीख तक प्रत्येक दशा में विलम्बतम डिस्पैच कर मुख्यालय ई–मेल/वाट्सअप पर भी प्रेषित कर दिया जाये। विलम्ब से डिस्पैच व प्रेषित किये गये न्यायालय कार्य विवरण के लिये सम्बन्धित सदस्य स्वयं उत्तरदायी होंगे।

आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

ह0/03.01.2025
(प्रतिमा श्रीवास्तव)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पृष्ठांकन– वा0क0अधि0/न्या0का0वि0/ 10 /2025 :: लखनऊ, दिनांक :: उक्त ।

प्रतिलिपि–वेब अधिकारी को विभागीय साइड पर अपलोड करने की आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।

आज्ञा से

(तरुण कुमार)
निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।